

राजस्थान सरकार  
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 5(18)प्राशि/2017

जयपुर दिनांक: - 4 SEP 2018

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राज0 बीकानेर।
4. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

विषय: राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के माध्यम से शिक्षक लेवल -2 (NON TSP AREA) गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं (TSP AREA) अनुसूचित क्षेत्र के विभिन्न विषयों के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) का कलेंडर जारी किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा दिनांक 03.09.2018 को राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के माध्यम से शिक्षक लेवल -2 (NON TSP AREA) गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं (TSP AREA) अनुसूचित क्षेत्र के विभिन्न विषयों के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु कट ऑफ मार्क्स जारी किये गये हैं।

अतः इस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 31.01.2017 एवं 20.06.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार उक्त चयनित तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2 (NON TSP AREA) गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं (TSP AREA) अनुसूचित क्षेत्र के नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही जिला स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नांकित कलेंडर जारी किया जाता है।

क्र.सं.	विवरण	विषय	दिनांक
1	2	3	4
1	निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा नवचयनित अभ्यर्थियों के डाटा व दिशा निर्देश संबंधित जिला परिषद को प्रेषित करवाना।	समस्त	06.09.18
2	नवचयनित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित जिला परिषद में दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु उपस्थिति	समस्त	08.09.2018 से 09.09.2018
3	आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर/निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राज. बीकानेर द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित किये जाने से पूर्व शाला दर्शन पोर्टल अपडेट कराना तथा	अंग्रेजी	10.09.18 से 11.09.2018 तक




	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा मेरिट लिस्ट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना।	गणित/ विज्ञान	12.09.2018 से 13.09.2018 तक
		सामाजिक अध्ययन	14.09.2018
		हिन्दी	15.09.2018
		संस्कृत,सिन्धी व उर्दू	16.09.18
		विशेष शिक्षक	16.09.18
4	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा नवचयनित पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची (Final list) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना।	अंग्रेजी	13.09.18
		गणित/ विज्ञान	15.09.18
		सामाजिक अध्ययन	16.09.18
		हिन्दी	17.09.18
		संस्कृत,सिन्धी व उर्दू	18.09.18
		विशेष शिक्षक	18.09.18
5	31.01.2017 एवं 20.06.2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शाला दर्शन पोर्टल पर जिले की लॉगइन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	अंग्रेजी	15.09.18
		गणित/ विज्ञान	17.09.18
		सामाजिक अध्ययन	19.09.18
		हिन्दी	21.09.18
		संस्कृत,सिन्धी व उर्दू	22.09.18
		विशेष शिक्षक	22.09.18
6	31.01.2017 एवं 20.06.2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाना।	अंग्रेजी	15.09.18
		गणित/ विज्ञान	17.09.18
		सामाजिक अध्ययन	19.09.18
		हिन्दी	21.09.18
		संस्कृत	23.09.18
		विशेष शिक्षक	23.09.18
7	31.01.2017 एवं 20.06.2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैंपों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	अंग्रेजी	16.09.18 व 17.09.18
		गणित/ विज्ञान	18.09.18 व 19.09.18
		सामाजिक अध्ययन	20.09.18
		हिन्दी	22.09.18
		संस्कृत,सिन्धी व उर्दू	24.09.18
		विशेष शिक्षक	25.09.18

8	31.01.2017 एवं 20.06.2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्थापना समिति से अनुमोदन उपरांत नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना	अंग्रेजी	28.09.18
		गणित/विज्ञान	
		सामाजिक अध्ययन	
		हिन्दी	
		संस्कृत,सिन्धी व उर्दू	
		विशेष शिक्षक	

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

भवदीय,




(संजय कुमार)

उप शासन सचिव  
प्राशि एवं परांज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,
10. सम्बन्धित विकास अधिकारी जिला
11. रक्षित पत्रावली।



(किशन लाल)  
अनुभागाधिकारी